पत्र सं0-विधि-4(1) -पंजीयन निर्देश -परिपत्र-2012-13 / 1029 / 1213055 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक 04 अक्टूबर, 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
<u>वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश</u>

व्यापारियों द्वारा विभाग में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किए जा रहे प्रार्थना पत्रों तथा इनके निस्तारण के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में मुख्यालय द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से जारी किए गए हैं। इस संबध में एकरूपता की दृष्टि से तथा पंजीयन दिए जाने की व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट , पारदर्शी, व्यावहारिक तथा सुलभ बनाए जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश निर्गत किए जाते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन निर्देशों से असंगत (inconsistent) यदि पूर्व में जारी कोई निर्देश निर्गत हैं तो वे इस सीमा तक अतिक्रमित समझे जायेंगे -

<u>(क)-पंजीयन प्रार्थना पत्र भरने हेतु निर्देश :</u>

1- फार्म-VII बड़े अक्षरों में ही भरा जाए।

2- उ0प्र0 मूल्य संवर्धित करअधिनियम , 2008 की धारा-17 तथा 18 तथा उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली , 2008 के नियम -32 , 33, 34,35,36 एवं 37 को भली भाँति पढ़ें।

3- पहचान सत्यापन के लिए अधोलिखित प्रपत्रों में से किसी एक की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें -

- a- निर्वाचन आयोग, भारत द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र
- b- आयकर विभाग , भारत सरकार द्वारा निर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन नम्बर)
- c- पासपोर्ट।
- d- बैंक पास बुक **जिसमें खाताधारक का फोटो बैंक द्वारा प्रामाणित किया गया हो।**

4- निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों में से किसी एक की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें :

- a- स्वयं मकान स्वामी होने की दशा में मकान के पंजीकृत प्रपत्र या जलकर , गृहकर या अन्य अभिलेख जिससे स्वामित्व प्रमाणित होता हो तथा किराएदार होने की दशा में लीज डीड की प्रति
- b- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत विद्युत बिल
- c- तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र
- d- सम्पत्ति कर रसीद अथवा टेलीफोन बिल की प्रति
- e- ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र / किसान बही की प्रति / अन्य राजस्व अभिलेख
- f- यदि प्रार्थी अपने माता-पिता के साथ रहता है और निवास स्थान के स्वामी माता या पिता हैं तो भवन स्वामी माता या पिता का यह शपथ-पत्र कि प्रार्थी उस अचल सम्पत्ति का Beneficiary है तथा उनके साथ रहता है।

5- व्यापार स्थल / शाखा / गोदाम / कार्यशाला के पते के सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों में से किसी एक की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें -

- a. व्यापार स्थल के स्वामी होने की दशा में स्थल के पंजीकृत प्रपत्र या जलकर , गृहकर या अन्य अभिलेख जिससे स्वामित्व प्रमाणित होता हो तथा किराएदार होने की दशा में लीज डीड / रेन्ट डीड की प्रति
- b- तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र
- c- उ0प्र0 राज्य आद्योगिक विकास निगम अथवा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- d- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा जारी मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र / बिजली का बिल
- e- पैतृक सम्पत्ति के मामले में परिवार के किसी सदस्य , जिसके नाम सम्पत्ति है , से संबंधित गृहकर , जलकर या इस प्रकार का अन्य कोई अभिलेख जिससे स्वामित्व प्रमाणित होता हो।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ पर भवन अथवा व्यापार स्थल किराए पर लिए गए हैं , वहाँ पर एक वर्ष से कम की किराएदारी होने पर रेन्ट डीड का पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में शासनानदेश संख्या यू0ओ0-12/ग्यारह-2-2007 दिनांक 31-1-2007 जारी किया गया था जिसे मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-4(2)-सामान्य जनरल -36-2005-06 से 2006-07 / 1771 / व्यापार कर , दिनांक 2-2-2007 द्वारा प्रसारित किया गया था। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एक वर्ष से अधिक के किराएनामे का निबन्धित होना अनिवार्य है। दी रजिस्ट्रेशन एक्ट , 1908 (The Registration Act , 1908)के अन्तर्गत यदि किराएदारी एक वर्ष से कम अवधि की है तो निबन्धित होना अनिवार्य नहीं है। तथापि ऐसी रेन्ट डीड पर दो गवाहों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है तथा ऐसी रेन्ट

डीड को इसकी अवधि समाप्त होने पर पुन: renew कराना आवश्यक होगा साथ ही इसे ड्यू (Due)धनराशि के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। अन्यथा स्थिति में जारी पंजीयन के निलम्बन की कार्यवाही की जा सकती है।

6- प्रोपराइटरशिप कन्सर्न से पृथक डीलर के प्रकरणों में निम्नुसार प्रपत्र इसके संगठन (Constitution of Business Entity)के संबंध में यथास्थिति देना अनिवार्य होगा -

a- साझीदारी फर्म की स्थिति में पंजीकृत भागीदारी विलेख (Registered Partnership Deed) ; या

b-वह प्रपत्र जिससे अविभाजित हिन्दू परिवार का गठन हुआ ; या

c-कम्पनी या कारपोरेशन की स्थिति में संस्था के बहिर्नियम व संस्था के अंतर्नियम (Article of Memorandum & Article of Association); या

d-सोसाइटी, क्लब व ट्रस्ट की स्थिति में सोसाइटी, क्लब व ट्रस्ट के उपनियम ; या

e-अवयस्क या अक्षम व्यक्ति के नाम पर व्यापार होने की स्थिति में सामान्य प्राधिकार पत्र (General Power of Attorney); या

f-केन्द्र या राज्य सरकार का विभाग होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र

7- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रार्थी डीलर जिस शहर या तहसील में व्यापार किया जा रहा है उससे भिन्न शहर या तहसील का मूल निवासी है तो उसे अपने स्थायी पते के संबंध में निम्न प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगे -

a- तहसीलदार का प्रमाण पत्र ; या

b- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत विद्युत बिल , यदि यह प्रार्थी डीलर के नाम है ; या

c- यदि प्रार्थी डीलरका मूल निवास का स्वामी है या वह मूल निवास के अतिरिक्त अन्य किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी है तो इसके साक्ष्य स्वरूप यदि पंजीकृत डीड है तो उसकी प्रति या पैतृक सम्पत्ति है तो तहसीलदार का प्रमाण पत्र , गृहकर या वाटर टैक्स के भुगतान सम्बन्धी प्रपत्र या अन्य कोई अभिलेख जिससे स्वामित्व प्रमाणित होता हो ; या

d- यदि प्रार्थी अपने माता-पिता के साथ रहता है और निवास स्थान के स्वामी माता या पिता हैं तो भवन स्वामी माता या पिता का यह शपथ-पत्र कि प्रार्थी उस अचल सम्पत्ति का Beneficiay है तथा उनके साथ रहता है।

8- अन्य अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति , यदि लागू हो

a- दुकान अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम

b- मण्डी अधिनियम

c- रजिस्ट्रार आफ फार्म्स एवं सोसाइटी अधिनियम

d- सर्विस टैक्स अधिनियम

e- उद्योग विभाग अधिनियम

f- केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम

g- औषधि एवं श्रंगार प्रसाधन अधिनियम

h- रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज अधिनियम

i- खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीयन

j- कोई अन्य अधिनियम

9- यदि कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत इनकॉरपोरेटिड कम्पनी द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन किया जाता है तो बोर्ड आफ डायरैक्टर्स के अधिकृत प्रतिनिधि को नामित किए जाने वाले Resolution को हस्ताक्षर करने वाले डायरैक्टर को ऐसे Resolution पर अपना स्वत: प्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य होगा।

10- फार्म-VII के विवरणों में क्रमांक -29 में निहित PAN की घोषणाओं के अतिरिक्त यह आवश्यक होगा कि आवेदनकर्ता व्यापारी अपनी Business Entity के भी PAN की घोषणा करे , अर्थात पंजीयन हेतु आवेदनकर्ता यदि फर्म है तो फर्म के PAN की ,यदि कम्पनी है तो कम्पनी के PAN की, यदि कोई सोसाइटी या क्लब या ऐसोसिएसन आफ परसन है तो इनके PAN की तथा यदि H.U.F. है तो उसके PAN की घोषणा करे। यदि पंजीयन प्रार्थना पत्र के आवेदन किए जाने तक उक्तानुसार Business Entity को PAN आयकर विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है तो उसके लिए आवेदन करने के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे तथा एक माह के अन्तर्गत यह PAN संसूचित करना अनिवार्य होगा।

11- पंजीकरण शुल्क / विलम्ब शुल्क जमा के चालान की मूल प्रति आवेदन पत्र केसाथ संलग्न की जाए।

12- आवेदक का परिचय उसी व्यापारी द्वारा कराया जाए जो वाणिज्य कर विभाग / व्यापार कर विभाग में कम से कम तीन वर्षो से पंजीकृत हो।

13- गलत घोषणा एवं गलत सूचना देने पर कतिपय शास्तियाँ निर्धारित हैं। अत: आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र में सही सूचनायें ही भरे तथा उ0प्र0 वैट अधिनियम , 2008 की धारा-54 में अंकित दण्ड सम्बंधी उपबन्धों का अध्ययन कर ले।

14- अधिक जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट अथवा अन्य किसी देय की वापसी जिले में स्थित कोषागार द्वारा खाते में देय चैक द्वारा ही की जाएगी। अत: आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या सही एवं स्पष्ट रूप से भरे। साथ ही जिस बैंक में खाता है उस बैंक का IFSC Code तथा MICR Code भी संसूचित करें।

15- नियम 32(6) में वर्णित अधिकृत ही आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे , जो निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित है तथा कॉलम-3 में उनकी प्रास्थिति कोड अंकित है । कृपया आवेदन पत्र के क्रमांक-5 में आवेदक अपनी प्रास्तिति से संबंधित कोड ही लिखें -

क्र0सं0	विवरण	प्रास्थिति कोड	
1	2	3	
(i)	एकल स्वामित्व व्यापार की स्थिति में व्यापार के स्वामी द्वारा ; या	0	1
(ii)	किसी साझीदार द्वारा , जो अन्य सभी साझीदारों द्वारा अधिकृत किया गया हो ; या	0	2
(iii)	हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में कर्ता द्वारा ; या	0	3
(iv)	लिमिटेड कम्पनी होने की दशा में मैनेजिंग डायरैक्टर अथवा बोर्ड आफ डायरैक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ; या	0	4
(v)	सोसाइटी या क्लब की स्थिति में अध्यक्ष या सचिव द्वारा ; या	0	5
(vi)	केन्द्र अथवा राज्य सरकार का विभाग होने की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष या उसके उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ; या	0	6
(vii)	अवयस्क के व्यापार स्वामी होने की स्थिति में उसके संरक्षक द्वारा ; या	0	7
(viii)	अक्षम व्यक्ति के व्यापार स्वामी होने की स्थिति में सामान्य प्राधिकार पत्र धारक व्यक्ति द्वारा ; या	0	8
(ix)	ट्रस्ट की स्थिति में ट्रस्टी द्वारा	0	9
(x)	अन्य	1	0

16- आवेदक पर करदायित्व आरम्भ होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर आवेदन पत्र पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

17- प्रत्येक माह अथवा माह के भाग के लिए रु0 100/- प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा ।

18- इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने हेतु टैक्स इन्वाइस प्राथमिक अभिलेख है तथा इसे संलग्नक-बी में अंकित व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाएगा । चूँकि इसका प्रभाव व्यापारी को मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट पर होगा , अत: आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस हेतु व्यापार से संबंधित सही व्यक्ति को ही प्राधिकृत करें ।

19- यदि निर्धारित प्रारूप-बी में सूचना नहीं दी जाती है तो आवेदक द्वारा ही टैक्स इन्वाइस एवं अन्य अभिलेख को प्रमाणित किया जाएगा ।

20- उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 तथा उसके नियमों के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से ही प्रभावी होगा , अत: आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ ही आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित प्रस्तुत करें ।

21- स्वामी , साझीदार , हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता , कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा प्राधिकृत निदेशक , ट्रस्ट की स्थिति में ट्रस्टी अथवा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति की फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्नक-ए में प्रस्तुत किए जायें ।

22- टैक्स इन्वाइस पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर संलग्नक-बी में प्रस्तुत किए जायें ।

23- आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों की सूची संलग्नक-ई में प्रस्तुत किए जायें ।

24- क्रमांक-7,8,9,10,11 तथा 25 को छोड़कर शेष क्रमांकों की पूर्ण सूचना न भरने पर पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को पंजीकरण प्राधिकारी स्वीकार नहीं करेंगे ।

25- गलत सूचना देने पर आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है , अत: आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि आवेददन पत्र में सही व पूर्ण सूचनायें ही दें ।

26- यदि आवेदक उ0 प्र0 व्यापार करअधिनियम , 1948 ; केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 अथवा उ0 प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम , 2007 के अन्तर्गत बाकीदार पाया जाता है तो उसका पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

27- क्रमांक-17 पर केवल वही कमोडिटी कोड भरे जायेंगे जो शासकीय विज्ञप्ति सं0 क0नि0-2-1992/ग्यारह. . . . . . . दिनांक 10 दिसम्बर,2010 द्वारा निर्धारित किए गए हैं ।

28- साझीदार फर्म होने की स्थिति में ही संलग्नक-डी भरा जाएगा ।

29- इस आवेदन पत्र में हस्ताक्षर अनुप्रमाणन का तात्पर्य यथा संशोधनों सहित वही होगा जैसा ट्रांसफर ऑफ प्रौपर्टी एक्ट की धारा-3 में वर्णित है ।

(ख) पंजीयन के संबंध में अन्य निर्देश :

1- जहाँ तक बैंक खाते का संबंध है , इसकी कोई भी श्रेणी हो सकती है - जैसे चालू खाता , बचत खाता या अन्य । स्वामित्व की स्थिति को छोड़कर सभी मामलों में खाते का फर्म के नाम में होना आवश्यक है । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यापारी को दिया जाने वाला रिफण्ड ट्रैजरी द्वारा "एकाउण्ट पेयी चैक " के माध्यम से सीधे व्यापारी के खाते में क्रेडिट किया जाएगा । चूंकि प्राविधानों के अनुसार रिफण्ड डीलर को ही दिया जाता है , अतएव खाता फर्म (डीलर) के नाम में होना आवश्यक है ।

2- विभाग द्वारा ऐसी अनेक योजनायें लागू की जा रही हैं जिनमें आवश्यक सूचनाओं को एस0एम0एस0 के माध्यम से व्यापारी के मोबाइल पर तथा ई-मेल द्वारा व्यापारी को ई-मेल ID पर दिया जाएगा । अत: सभी पंजीयन आवेदनकर्ता व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्यापारी अपना मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल ID विभाग को अवश्य संसूचित करें । ऐसा किए जाने पर उपर्युक्त सूचनाओं को उन्हें दिया जाना सुविधाजनक होगा । इन सूचनाओं में पंजीकरण संबंधी सूचनायें , फार्म डाउनलोड सम्बन्धी सूचनायें , वादों के डीम्ड कर निर्धारण संबंधी सूचनायें आदि समाहित हैं ।यह सभी सूचनायें व्यापारियों को सुविधा देने के उद्देश्य से तथा कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से निर्गत की जायेंगी ।

यदि व्यापारी द्वारा संसूचित मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल ID में अग्रेत्तर कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल पंजीकरण अधिकारी तथा संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को देना अनिवार्य होगा ।

3- इसी प्रकार व्यापारियों द्वारा टेलीफोन नम्बर या फैक्स नम्बर देने से भी भविष्य में सूचनाओं के प्रेषण में सुलभता होगी । अत: पंजीयन आवेदनकर्ता व्यापारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इनके विवरण विभाग को अवश्य दें ।

4- शासकीय विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-1992/ग्यारह. . . . . . . दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 द्वारा कमोडिटी कोड रिटर्न के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित किए गए हैं । यह विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । व्यापारिक वस्तु के संबंध में इनका उल्लेख किया जाएगा , तदनुसार पंजीयन प्रमाण-पत्र जो फार्म-XI में जारी किया जाएगा , में भी व्यापारिक वस्तु के संबंध में इन कमोडिटी कोड की घोषणा की जाएगी ।

5- बायोमेट्रिक के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि साझीदारी फर्म के संबंध में सभी साझीदारों का , एच0यू0एफ0 के मामले में कर्ता का तथा कम्पनी के मामले में निदेशक मण्डल द्वारा अधिकृत निदेशक या निदेशक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति का बायोमेट्रिक डाटा लिया जाना है । कम्पनी के मामले में यह देख लिया जाए कि अधिकृत व्यक्ति के संबंध में निदेशक मण्डल द्वारा कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार अधिकृत किया गया हो तथा उसकी सूचना नियमानुसार रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज़ को दे दी गयी हो । अत: कम्पनी द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन करते समय इस आशय का साक्ष्य देना अनिवार्य होगा जिससे यह प्रमाणित हो कि किसी व्यक्ति को पंजीयन की कार्यवाही हेतु अधिकृत करने संबंधी Board of Directors के Resolution की प्रति रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज़ को दे दी गयी है ।

6- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मुख्यालय के परिपत्र सं0विधि-4(1)(10-11)-परिपत्र भाग-3/328 / 1213018 / वाणिज्य कर दिनांक 28 मई , 2012 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पंजीयन की दृष्टि से , टैक्स आडिट की दृष्टि से तथा फार्म-38 डाउनलोड करने की दृष्टि से अर्थात सभी विभागीय विषयों के लिए निम्न वस्तुयें **संवेदनशील वस्तुओं** की श्रेणी में होंगी -

(1) कोयला (2) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम,1956 की धारा-14 में परिभाषित लोहा वं इस्पात, (3) मैन्था आयल एवं मैन्थाल, (4) सुपाड़ी व कत्था (5) पानमसाला / गुटखा (6) पेपर, (7) वनस्पति, पाम आयल, रिफाइन्ड आयल (8) पटिया- पत्थर, बदरपुर, रोड़ी-गिट्टी, मौरंग, बालू/ रेता, खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर)

7- मुख्यालय के परिपत्र संख्या -विधि-4(1)-परिपत्र भाग-3(12-13)/ 329 / 1213019 वाणिज्य कर दिनांक 28 मई, 2012 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संवेदनशील वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के व्यापार करने वाले व्यापारियों के संबंध में **तत्काल पंजीयन की व्यवस्था लागू रहेगी** । इस परिपत्र द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील वस्तुओं के संबंध में पंजीयन प्रार्थनापत्रों के निस्तारण में तत्काल पंजीयन व्यवस्था के स्थान पर सम्यक जांच के उपरान्त ही पंजीयन दिये जाने की व्यवस्था रहेगी । ऐसे पंजीयन प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण अपेक्षित जांचोपरान्त प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के विलम्बतम 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित किया जाय । तत्काल पंजीकृत की गयी फर्मों के वाणिज्यिक क्रियाकलापों की समीक्षा एवं अनुश्रवण डिप्टी कमिश्नर / खण्डाधिकारी के स्तर से पाक्षिक रूप से किया जाएगा ।

8- यदि किसी व्यापारी द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (फार्म-VII) अपूर्ण प्रस्तुत किया जाता है अथवा वांछित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तब पजीकरण अधिकारी इस कमी का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र उस व्यापारी को इंगित कमियों को पूरा करने के लिए वापिस करेंगे । साथ ही इस संबंध में इन्द्राज एक पंजी में भी करेंगे जो निम्न प्रारूप में रखी जाएगी । जब प्रार्थी व्यापारी उन कमियों को पूरा करके पुन: पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तब उसे नियमानुसार इस संबंध कम्प्यूटर से प्राप्ति रसीद जारी कराते हुए पंजीयन जारी कर दिया जाएगा । इस आशय का उल्लेख उक्त परिप्रेक्ष्य में रखी गयी पंजी में भी किया जाएगा -

क्रमांक	पंजीयन आवेदनकर्ता व्यापारी का नाम	अपूर्ण पंजीयन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	प्रस्तुत पंजीयन प्रार्थना पर में कमियों का विवरण	पंजीयन आवेदनकर्ता द्वारा इंगित कमियों को पूर्ण करने के उपरान्त पुन: पंजीयन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	पंजीयन जारी करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6

9- पंजीयन के संबंध में जमानत :

पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले निम्न श्रेणी के व्यापारियों को पंजीयन प्राप्त हेतु जमानत देनी होगी -

(1) संवेदनशील वस्तुओं में व्यापार करने वाले व्यापारी

(2) जिन व्यापारियों को कर अपवंचना के तथ्यों के दृष्टिगत अभिलेख पर लाया गया है ।

(3) जिन्हें किसी प्रान्तीय पंजीकृत व्यापारी द्वारा अभिप्रमाणित नहीं किया गया हो ।

(4) जिनके नाम कोई अचल सम्पत्ति न हो तथा जिनका मूल निवास स्थान भी दर्शाए व्यापार स्थल के शहर/तहसील से भिन्न हो ।

(5) कैजुअल डीलर्स जिनकी करदेयता रु0 50,000/- से अधिक होना संभावित हो ।

उक्त श्रेणी के व्यापारियों से सामान्यतया **रु0 25,000/- की जमानत पंजीयन हेतु ली जाएगी** । विशिष्ट प्रकरणों में पंजीकरण अधिकारी जोनल एडीशनल कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए इससे अधिक जमानत की माँग कर सकते हैं ।

10- **<u>पंजीयन के संबंध में जमानत के रूप (Mode)</u>** :

पंजीयन के संबंध में जमानत निम्न में से किसी भी रूप में दी जा सकती है -

(1) By depositing the amount in any post office or scheduled or nationalized bank and pledging the pass book in favour of the assessing authority by designation and not by name ; or

(2) In the form of bank guarantee by any scheduled or nationalized bank ; or

(3) By mortgaging any immovable property valuing at least 25% more than the amount of security ; or

(4) In the form of surety bond executed jointly by the dealer and the two other dealers of status and standing as his surety jointly and severally ; or

(5) By depositing the amount in cash in any branch of the State Bank of India or treasury or sub-treasury in U.P.

उक्त के क्रमांक- (4) में वर्णित " dealers of status and standing " से अभिप्राय ऐसे डीलर से होगा जो विभाग में कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत हों तथा जिनके विरुद्ध उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 , केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956 , उ0प्र0 माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम , 2007 तथा उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कोई बकाया न हो ।

11- **पंजीयन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात अब संबंधित व्यापारी का बयान लेने की कार्यवाही नहीं की जाएगी ।** व्यापारी के व्यापार स्थल के जाँच सर्वेक्षण के समय अंकित किए जाने वाले विवरणों का प्रारूप इस परिपत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है , जिसके अनुसार जाँच अधिकारी तदनुसार विवरण अपनी जाँच टिप्पणीं में अंकित करेंगे तथा पंजीयन दिए जाने के संबंध में अपना स्पष्ट मन्तव्य भी अंकित करेंगे । यदि इस जाँच के समय उपस्थित व्यक्ति कोई उपरोक्तानुसार विवरण देने में या संबंधित तथ्य अवगत कराने में असमर्थ रहता है तो जाँच अधिकारी उसे ऐसे विवरण/तथ्य के प्रस्तुतीकरण के लिए समुचित समय जो समान्यतया एक सप्ताह का होगा प्रदान करते हुए अपनी टिप्पणीं अंकित करेंगे ।

12- पंजीयन जारी होने के उपरान्त पंजीयन पत्रावली संबंधित डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर के कार्यालय में तत्काल प्रेषित कर दी जाएगी ताकि पंजीयन से संबंधित जाँच सर्वेक्षण की कार्यवाही निष्पादित की जा सके । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संवेदनशील वस्तुओं के संबंध में व्यापार स्थल की जाँच अधिकतम एक सप्ताह के अन्तर्गत तथा इनसे पृथक प्रकरणों में व्यापार स्थल की जाँच आदि की कार्यवाही एक माह के अन्तर्गत निष्पादित की जाएगी ।

<u>(ग) पंजीयन प्रमाण पत्रों के संशोधन संबंधी निर्देश</u> :

जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में वस्तुओं के संशोधन , संगठन में संशोधन , व्यापार स्थल में संशोधन आदि के संबंध में व्यापारियों द्वारा प्रार्थना पत्र पंजीयन प्रकोष्ठ में ही प्रस्तुत किए जायेंगे । इनके निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था लागू रहेगी -

1- प्रत्येक शुक्रवार को पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए दिन नियत किया जाता है । यसि किसी शुक्रवार को अवकाश रहता है तब अगला कार्यदिवस इस कार्य हेतु नियत रहेगा ।

2- जिन मामलों में व्यापार स्थल की जाँच आवश्यक हो उसे उसी दिन खण्डाधिकारी को जाँच हेतु एक पंजी में चढ़ाकर भेज दिया जाए । खण्डाधिकारी ऐसे मामलों का इन्द्राज अपने खण्ड में एक पंजी में कराकर एक सप्ताह के अन्तर्गत जाँच कराते हुए आगामी शुक्रवार के पूर्व इसे पंजीयन प्रकोष्ठ भेज देंगे तथा शुक्रवार को इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया जाएगा ।

3- ऐसे सभी मामले जिनमें व्यापार स्थल की जाँच अथवा अन्य जाँच अपेक्षित न हो , उनमें पंजीयन प्रमाण-पत्र में संशोधन उसी दिन कर दिया जाएगा ।

4- शुक्रवार को प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के उपरान्त संशोधित फार्म-XII उसी दिन जारी किया जाए ।

यह ध्यान रखा जाए कि उक्त क्रम में प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों के निस्तारण में किसी भी दशा में 30 दिन से अधिक का समय न लगे । इस कार्य की मौनिटरिंग पंजीयन प्रकोष्ठ के प्रभारी ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर द्वारा पाक्षिक रूप से की जाएगी जिसका अनुश्रवण जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा मासिक रूप से किया जाएगा ।

उक्त निर्देश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगे । इनका उनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)

(4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवें समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0

(5) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

(6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।

(7) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।

(8) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।

(9) समस्त डिप्टी कमिश्नर / अस्स्टिेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश ।

(10) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।

(11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।

(12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।

(13) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।

(14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।

(15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।

(16) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10नोयडा ।

(17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।

(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।

(19) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में ।

(20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।

(21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।

(22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।

(23) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।

(24) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0 ।

(25) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।

(26) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुॅज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।

(27) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।

(28) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।

(29) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।

(30) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।

(31) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।

(32) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।

(33) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।

(34) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।

(35) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।

(36) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव बिहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।

(37) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।

(38) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।

(39) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।

(40) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।

(41) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
(42) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।
(43) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली,चौक,वाराणसी।
(44) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।
(46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
(47) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद।
(48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
(49) श्री शैलेश मिश्रा, महामँत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर।
(50) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर।
(51) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।
(55) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
(56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
(57) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ।
(58) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।
(59) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
(60) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।
(61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
(62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउण्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
(63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस।
(64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
(65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
(66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
(67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।
(68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
(69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद।
(70) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
(71) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।
(72) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्व नगर (यू0पी0

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , लखनऊ

सर्वेक्षण का प्रारुप

क्रमांक -

1- सर्वेक्षण का दिनांक ☐☐☐☐☐☐

(क)उपस्थित व्यक्ति का नाम/फर्म की प्रास्थिति- ---

2-(क) फर्म / कम्पनी का नाम व पता --

(ख) ब्रान्च / गोदाम के विवरण --

3-(क) टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नम्बर (TIN)----------------------------(ख) प्रभावी दिनांक --

4- पंजीयन जिसके लिए आवेदन किया गया --

(क) उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ☐

(1) नियमित डीलर के रुप में - ☐

(2) एच्छिक (Vovuntary) के रुप में ☐

(3) कैजुअल डीलर के रुप में ☐

(ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत ☐

(1) धारा 7(1) के अन्तर्गत ☐

(2) धारा 7(2) के अन्तर्गत ☐

(3) धारा 7(1) के अन्तर्गत तथा धारा 7(2) के अन्तर्गत ☐

(ग) उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत- ☐

5- व्यापार का स्वरुप -

☐ निर्माता ☐ ट्रेडर ☐ कार्यसंविदाकार ☐ राइट टू इश्यू के अन्तर्गत डीलर ☐ अन्य

6- व्यापारिक वस्तुएँ -

(क) प्रान्तीय संव्यवहार हेतु - ---

(ख) केन्द्रीय संव्यवहार हेतु - ---

(ग) निर्यात हेतु - ---

7- व्यापारिक प्रतिष्ठान का विवरण -

(1) निजी सम्पत्ति ☐

(क) सम्पत्ति का विवरण

----

(2) किराए पर ☐

(क) भवन स्वामी का नाम/पता

(ख) किराया

(ग) कियायानामा पंजीकृत है/अपंजीकृत है

(घ) यदि किरायानाम अपंजीकृत है तो गवाहों के विवरण

1--------------------------------------

2--------------------------------------

(3) लीज पर ☐

(क) Lessor का नाम/पता

(ख) लीज की अवधि

(ग) लीज की राशि

8- व्यापार स्थल की चौहद्दी का विवरण -

(1) पूर्व में- (2) पश्चिम में- (3) उत्तर में- (4) दक्षिण में-

9- फर्म के बोर्ड की स्थिति- ☐ हॉं ☐ नहीं

10- कार्यरत कर्मचारी/ स्टाफ की संख्या -

11- इलेक्ट्रिक मीटर का नम्बर तथा सीलिंग सर्टिफिकेट (ख) वर्तमान रीडिंग-----------------------
जिसके नाम जारी है, उसका उल्लेख ---

12- स्टाक का विवरण ---

(क) प्रान्तीय --- **(ख) आयातित**-------------------------------

(i) कच्चा माल / सेमी फिनिश्ड माल ------------------- (i) कच्चा माल / सेमी फिनिश्ड माल ------------------------------------
(ii) फिनिश्ड गुड्स -------------------------------------- (ii) फिनिश्ड गुड्स ---
(iii) वेस्ट प्रोडक्ट्स--------------------------------------- (iii) ट्रान्सफर आफ राइट टू यूज के अन्तर्गत प्राप्त गुड्स------------
(iv) ट्रान्सफर आफ राइट टू यूज के अन्तर्गत अन्तरित गुड्स ---

13- लेखा पुस्तकों का विवरण जिन्हे हस्ताक्षरित किया गया :-

(i) --
(ii) ---
(iii) --
(iv) --

14- अन्य विवरण ---

(i) यदि निर्माता द्वारा मशीनरी लगायी हुई है तो उसके विवरण --
(ii) यदि व्यापार स्थल का निर्माण कराया गया है तो संविदाकार के विवरण जिससे यह कार्य कराया गया --------------------
(iii) लोन/बैंक के विवरण जिससे लोन लेकर व्यापार आरम्भ किया गया -

(क) बैंक का नाम (ख) शाखा (ग) लोन एकाउण्ट नम्बर

ह0 सर्वेक्षण अधिकारी
सर्वेक्षण अधिकारी का पदनाम

15- सर्वेक्षण अधिकारी की स्पष्ट अभ्युक्ति ---

ह0 सर्वेक्षण अधिकारी
सर्वेक्षण अधिकारी का पदनाम